# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
## पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 419/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 03.12.2024

**उनवान**

1. गणेश पिता घीसा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. मु. हमेरी बेवा घीसा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. मु. कमला पुत्री घीसा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. मु. दुर्गा पुत्री घीसा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. कंचन पुत्री हीरालाल मेघवाल नाबालिग बविलायम गणेश पिता घीसा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

**वादीगण**

**बनाम**

1. किशन पिता भगवानिया मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. नाथू पिता भगवानिया मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. सुरेश पिता भगवानिया मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. राधेश्याम पिता भगवानिया मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. मु. रेखा पुत्री भगवानिया मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6. मु. शांती बेवा भगवानिया मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7. रामा पिता उदा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (1) वरदी पत्नी रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (2) देऊ पुत्री रामा मेघवाल निवासी निलोद निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (3) दाखी पुत्री रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8. मोहन पिता जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9. मु. केशर पुत्री जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
10. मु. हगामी पुत्री जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
11. मु. नारायणी बेवा जयचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
12. वरदीचन्द पिता देवजी मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (1) भंवरलाल पिता वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (2) हीरालाल पिता वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (3) बगदी पुत्री वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (4) राधी पत्नी वरदीचन्द मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
13. सुखलाल पिता देवजी मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (1) भैरूलाल पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (2) डालचन्द पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (3) लालूराम पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (4) टीपू पुत्री सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (5) मंजु पुत्री सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (6) नोजीबाई पत्नी सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
14. धन्ना पिता केला जाति मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   (1) रतनलाल पिता धन्ना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर हा.मु. फतहनगर
   (2) राजू पिता धन्ना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर हा.मु. फतहनगर
   (3) लीलादेवी बेवा धन्ना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर हा.मु. फतहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelda
Date: 2025.03.19 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

15. मांगू पिता केला मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
16. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

**प्रतिवादी**

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

**उपस्थिति :** 1. श्री शंकरलला जाट, वकील वादी
2. श्री रामलाल गुर्जर, वकील प्रतिवादी

## : निर्णय :

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र अंतर्गत धारा–88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :

यह है कि मौजा निलोद पटवार हल्का निलोद तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में हाल जमाबंदी में दर्ज खाता सं. 43 में दर्ज आ.सं. 2098 रकबा 0.09 हैक्टेयर, आ.सं. 2099 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ.सं. 2103 रकबा 0.29 हैक्टेयर, आ.सं. 2106 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आ.सं. 2111 रकबा 0.44 हैक्टेयर, आ.सं. 2565 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आ.सं. 2566 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आ.सं. 2569 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ.सं. 2573 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आ.सं. 2620 रकबा 0.05 हैक्टेयर, आ.सं. 2621 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आ.सं. 2622 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आ.सं. 2623 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आ.सं. 2624 रकबा 0.03 हैक्टेयर, आ.सं. 2627 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.सं. 2628 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.सं. 2629 रकबा 0.18 हैक्टेयर, आ.सं. 2630 रकबा 0.09 हैक्टेयर, आ.सं. 2631 रकबा 0.14 हैक्टेयर, आ.सं. 2664 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आ.सं. 2674 रकबा 0.32 हैक्टेयर कुल किता 21 रकबा 3.84 हैक्टेयर कुल लगानी 63.90 पैसा स्थित है। उक्त आराजियात में प्रतिवादी सं. एक से लगायत छः के 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा प्रतिवादी संख्या सात के नाम 1/2 दर्ज रिकार्ड है व इसी प्रकार हाल खाता सं. 419 में दर्ज आ.सं. 2506 रकबा 0.81 हैक्टेयर, आ.सं. 2507 रकबा 0.62 हैक्टेयर, आ.सं. 2639 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आ.सं. 2645 रकबा 0.23 हैक्टेयर, आ.सं. 2646 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ.सं. 2649 रकबा 0.69 हैक्टेयर, आ.सं. 2654 रकबा 0.12 हैक्टेयर,आ.सं. 2655 रकबा 0.21 हैक्टेयर, आ.सं. 2656 रकबा 0.25 हैक्टेयर, आ.सं. 2657 रकबा 0.33 हैक्टेयर, आ.सं. 2658 रकबा 0.49 हैक्टेयर, आ.सं. 2659 रकबा 0.16 हैक्टेयर, आ.सं. 2660 रकबा 0.17 हैक्टेयर, आ.सं. 2796/2639 रकबा 0.41 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 4.98 हैक्टेयर कुल लगानी 16–26 पैसा स्थित है। उक्त आराजियात में प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत सात के 1/2 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या आठ से लगायत तेरह के नाम 1/2 हक हिस्सा दर्ज रिकार्ड है, जो वर्तमान में रेवेन्यू रिकार्ड में गलत अंकन है। यह कि जैरबहस आराजियात में हाल खाता सं. 43 में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. एक से लगायत सात का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या चौदह व पन्द्रह का 1/3 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार हाल खाता संख्या 419 में से 1/2 हिस्से में से वादी का 1/3 प्रतिवादी सं. एक से लगायत सात का 1/3 व प्रतिवादी संख्या चौदह–पन्द्रह का 1/3 व प्रतिवादी संख्या आठ से लगायत तेरह का बाकी 1/2 हिस्सा निहित है। यह कि वादपत्र की कॉलम संख्या एक में वर्णित जैरबहस आराजियात में जो प्रतिवादी संख्या 8 से लगायत 13 के हिस्से की आराजियात को छोड़कर बाकी दोनों खातों की आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत सात का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या चौदह–पन्द्रह का 1/3 हिस्सा निहित है और इसी अनुसार हम वादीगण और प्रतिवादीगण मौके पर काबिज है, मौके पर अलग–अलग बंटवाड़ा [illegible] है जो हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक से सात एवं चौदह–पन्द्रह के बाप दादाओं [illegible] समय [illegible] ही यानि 100 वर्षों से भी अधिक समय से अलग–अलग बंटवाडा कर रखा है और इसी अनुसार [illegible] है एवं काश्त कर रहे हैं वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत सात व चौदह–पन्द्रह का [illegible] निम्न प्रकार है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested

दल्ला

जालू (फौत) लखमा (फौत) उदा (फौत) केला (फौत)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

दोली

घीसा (फौत) धन्ना मांगू

प्रतिवादी प्रतिवादी

गणेश हमेरी कमला दुर्गा हिरालाल

वादी वादी वादी वादी फौत

कंचन वादी

भगवानिया (फौत)

किशन प्र. नाथू प्र. सुरेश प्र. राधेश्याम प्र. रेखा प्र. शांति प्र.

उक्त सजरे अनुसार दल्ला जी मूल पुरुष थे, दल्लाजी की मृत्यु के कुछ समय बाद वादी के दादा लखमाजी की मृत्यु हो गई व वादी के पिता घीसाजी नाबालिग थे व लखमा जी की मृत्यु के थोड़े समय बाद जालूजी भी फौत हो गये और जालूजी की पुत्री दोली भी नाबालिग थी और दरमियान दल्लाजी की मृत्यु का इन्तकाल नहीं खुला और दल्लाजी की मृत्यु के बाद कर्ता खानदान में प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत सात के दादा व पिता उदाजी व प्रतिवादी संख्या चौदह–पन्द्रह के पिता केलाजी नाबालिग थे। जिससे प्रतिवादीगण के पिता व दादा उदाजी ही कर्ताखानदान थे, जिससे हम वादीगण का व प्रतिवादीगण संख्या चौदह, पन्द्रह व सोलह का हक जाया करते हुऐ उदाजी ने दल्लाजी की सारी आराजियात अपने नाम करवा ली, जिसकी हम वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या चौदह व पन्द्रह को जानकारी नहीं थी तथा प्रतिवादी संख्या सोलह को जानकारी हुई और प्रतिवादी संख्या सोलह ने अपना हक हिस्सा पहले से ही ले लिया और बिकाव कर दिया जिससे प्रतिवादी संख्या सोलह को फोरमल पक्षकार बनाया गया है, जिससे कोई दाद नहीं चाही गई है। यह कि प्रतिवादी संख्या एक से लगायत सात के दादा व पिता उदाजी के नाम जैरबहस आराजियात गलत दर्ज हो जाने से वादीगण की जानकारी में नहीं थी किन्तु हाल ही दिनांक 28.10.2013 को प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने की धमकी दी और कहा कि आराजियात हमाने अकेले के नाम पर है, जिससे आराजियात पर आज के बाद आना मत वरना जान से खतम कर देगें। जिससे वादीगण ने रेवेन्यू रिकार्ड लिया तब पता चला जिससे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे, कब्जे से बेदखल नहीं करे, प्रतिवादीगण ऐसा न करे न ही अपने नौकर एजेन्ट से ऐसा करावें तथा प्रतिवादीगण संख्या 17 वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन न करें न ही अपने नौकर एजेन्ट से ही करावें। यह कि जैरबहस आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा है जो वादीगण की मौरूसी मिल्कीयत की आराजियात है जो वादीगण व प्रतिवादीगण के बाप दादाओं के समय की है जिस पर वादीगण का हिस्से अनुसार कब्जा 100 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर निर्विरोध शांतीपूर्वक चला आ रहा है जिससे वादीगण जैरबहस आराजियात के 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के अधिकारी हैं। यह कि दौराने वाद विचारण प्रतिवादीगण वादीगण को कब्जे से बेदखल कर दे तो आदेशात्मक आज्ञा द्वारा पुनः कब्जा वादीगण को दिलाया जावे व प्रतिवादीगण दौराने वाद विवादित आराजियात को [illegible] से मुन्तकील कर मुन्तकीली विलेख पंजीयन करा ले तो वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन एवं [illegible] (नल एण्ड वाईड) घोषित कराया जाना आवश्यक है। यह कि विवादित आराजियात प्रतिवादीगण के नाम [illegible] अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 28.10.2013 को लेने से व प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजियात से वादीगण को बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी 28.10.2013 को देने से बिनाये दावा दिनांक 28.10.2013 को पैदा हुई जो निरन्तर जारी है। अतः वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित करा राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम खाते दर्ज कराये जाने की डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या एक से सात सादर फरमाई जावे। वादपत्र की चरण संख्या एक में

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

वर्णित आराजियात में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे में किसी प्रकार से दखलअन्दाजी नहीं करे न विवादित आराजियात को किसी प्रकार से मुन्तकिल कर मुन्तकिली विलेख पंजीयन करावें व न प्रतिवादीगण संख्या 17 उक्त आराजियात से संबंधित मुन्तकिली विलेख का पंजीयन करे, ऐसा कृत्य प्रतिवादीगण न स्वयं करें न अपने परिवारजन नौकर, एजेन्ट से करावें, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत 7 व 17 सादर फरमाई जावे। वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात को प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से मुन्तकिल कर मुन्तकिली विलेख पंजीयन करा ले तो वादीगण के मुकाबले प्रभावहीन एवं शून्य (नल एण्ड़ वाईड) घोषित कराये जाने व प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत सात वादीगण के कब्जे में दखलअन्दाजी कर वादीगण का कब्जा दौराने वाद हटा देवें तो पुनः कब्जा दिलाया जाने की डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या एक से लगायत सात सादर फ़रमाई जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। बाद सम्मन तामिल प्रतिवादी संख्या 8 से 13 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 27.09.2022 को इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 व 7 (1) से 7 (3) की ओर से वकील श्री रामलाल गुर्जर ने ईकबाली जवाब पेश किया जिसमें सारांशतः निवेदन किया कि वर्तमान में जो राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी 1 से लगायत 7 के नाम दर्ज है, जो गलत है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 का 1/3 हिस्सा एवं 1/3 हिस्सा वादीगण का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14, 15 के खातेदारी में दर्ज होना चाहिये तथा मौके पर कब्जा भी हमारा पक्षकारान का इसी अनुसार काबिज है। खाता संख्या 43 में 1/3 हिस्सा वादीगण का है व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक का है तााि 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14, 15 का है व खाता संख्या 419 में 1/2 हिस्से में से 1/3 वादी, 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं. 14, 15 का है। वादपत्र की कॉलम संख्या 3 स्वीकार है तथा कालम संख्या 3 में जो सजरा दर्शाया हुआ है वह सही है तथा सजरे अनुसार प्रतिवादी संख्या 14, 15 का राजस्व रिकार्ड में 1/3 हिस्सा अंकित होना चाहिये जो प्रतिवादी संख्या 14, 15 के नाम दर्ज नहीं है इसलिये उक्त आराजियात में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14, 15 अंकित किया जाना आवश्यक है। उक्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी 1 से लगायत 7 के नाम दर्ज है जिसमें से 1/3 वादीगण के नाम होनी चाहिये व 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14, 15 के होनी चाहिये व 1/3 हिस्सा ही प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 के खाते होनी चाहिए। वादपत्र की कॉलम संख्या 4 स्वीकार है तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 14, 15 काश्त कर रहे हैं व 1/3 हिस्सा पर वादीगण काश्त कर रहे हैं तथा 1/3 हिस्सा पर प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 काश्त कर रहे हैं। वादपत्र की कॉलम सं. 12 वादीगण की प्रार्थना आंशिक रूप से स्वीकार है जो 1/3 हिस्सा तक वादीगण के है तथा प्रतिवादी संख्या 14, 15 का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 7 तक का 1/3 की खातेदारी में दर्ज कराये जाने की डिकी सादर फरमाई जावे। वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के बयान करवाऐ जो शामिल पत्रावली हैं, उक्त दोनों गवाहों ने कथन किया कि विवादित जमीन मौरूसी है। इसमें 1/3 वादी, 1/3 प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की, 1/3 प्रतिवादी सं. 14, 15 की है। मौके पर तीनों का कब्जा है। 1/3 हिस्से तीनों के बराबर कर दी जावे तो कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने शपथ पत्र श्री गणेश का PW 1 एवं श्री तुलसीराम का PW 2 पेश किये, जो शामिल पत्रावली हैं। वकील वादी ने दस्तावेज प्रदर्श किये जो कि जमाबंदी सम्वत् 2068–71 प्रदर्श 1 व 2, मिलान शीट प्रदर्श 3, जमाबंदी सम्वत 2021 से 2024 प्रदर्श 4 , जमाबंदी सम्वत 2064 से 67 प्रदर्श 5, जमाबंदी [illegible] प्रदर्श 6 होकर शामिल पत्रावली है। साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी दिनांक 11.01.2023 को बंद की गई।

हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी के द्वारा ईकबाली जवाब पेश करने व प्रतिवादी सं. 8 से 13 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। हमने पत्रावली, उपलब्ध रिकार्ड, हाल–साबिक जमाबंदी का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस एकतरफा सुनी गई। वादी व गवाहों के शपथ–पत्र, अन्य दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के शपथ–पत्र, वकील वादी की बहस एवं वकील प्रतिवादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested

ईकबाली जवाब के आधार पर वादी ने अपना वाद अपने पक्ष में साबित कराया है। अतः वादी का वाद अंर्तगत धारा–88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम निलोद की आ. सं. 2506 रकबा 0.81 है., आ.सं. 2507 रकबा 0.62 है., आ.सं. 2639 रकबा 0.24 है., आ.सं. 2645 रकबा 0.23 है., आ.सं. 2646 रकबा 0.25 है., आ.सं. 2649 रकबा 0.69 है., आ.सं. 2654 रकबा 0.12 है., आ.सं. 2655 रकबा 0.21 है., आ.सं. 2656 रकबा 0.25 है. आ.सं. 2657 रकबा 0.33 है., आ.सं. 2658 रकबा 0.49 है., आ. सं. 2659 रकबा 0.16 है., आ.सं. 2660 रकबा 0.17 है., आ.सं. 2796/2639 रकबा 0.41 है. किता 14 रकबा 4.9800 है. के 1/2 हिस्से में से 1/3 का वादीगण को, 1/3 का प्रतिवादी सं. 1 से 7 तक को एवं 1/3 का प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 8 से 13 तक के 1/2 हिस्से को यथावत पूर्ववत रखा जाता है। आ.सं. 2098 रकबा 0.09 है., आ.सं. 2099 रकबा 0. 16 है., आ.सं. 2103 रकबा 0.29 है., आ.सं. 2106 रकबा 0.22 है., आ.सं. 2111 रकबा 0.44 है., आ.सं. 2565 रकबा 0.52 है., आ.सं. 2566 रकबा 0.06 है.,आ.सं. 2569 रकबा 0.25 है., आ.सं. 2573 रकबा 0.22 है., आ.सं. 2620 रकबा 0.05 है., आ.सं. 2621 रकबा 0.04 है., आ.सं. 2622 रकबा 0.03 है., आ.सं. 2623 रकबा 0.03 है. , आ.सं. आ.सं. 2624 रकबा 0.03 है., आ.सं. 2627 रकबा 0.23 है., आ.सं. 2624 रकबा 0.03 है. आ.सं. 2627 रकबा 0.23 है., आ.सं. 2628 रकबा 0.23 है., आ.सं. 2629 रकबा 0.18 है., आ.सं. 2630 0.09 है., आ.सं. 2631 रकबा 0.14 है., आ.सं. 2664 रकबा 0.22 है., आ.सं. 2674 रकबा 0.32 हैक्टेयर किता 21 रकबा 3.84 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 से 7 तक को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी सं. 14 व 15 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.19 10:59:11 IST
Reason: SelfAttested